

बजट टिप्पणी

श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल का वर्ष 2014-2015 का अनुमानित बजट एवं वर्ष 2013-2014 के संशोधित आय व्यय का अनुमोदन:-

श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल के वर्ष 2014-2015 के अनुमानित आय व्यय का अनुमोदन एवं वर्ष 2013-2014 में किये गये संशोधित आय व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है ।

वर्ष 2013-2014 की कुल अनुमानित आय एवं प्राप्तियाँ रुपये 4949.00 लाख के विरुद्ध संशोधित आय रुपये 3681.12 लाख अपेक्षित (आय का मानचित्र 'अ') तथा अनुमानित व्यय रुपये 4949.00 लाख के विरुद्ध संशोधित व्यय 2022.14 लाख का अनुमान है। (व्यय मानचित्र 'ब')

वर्ष 2014-2015 हेतु अनुमानित आय रुपये **4382.00** लाख (आय का मानचित्र 'अ') तथा अनुमानित व्यय रुपये **4382.00** लाख (व्यय का मानचित्र 'ब') के अनुसार अनुमोदन किया जाता है।

बजट - टिप्पणी

वर्ष 2014-2015

मंदिर मण्डल के वर्ष 2014-2015 के अनुमानित एवं वर्ष 2013-2014 के संशोधित आय व्यय क्रमशः अनुसूची अ व ब अनुमोदित किये गये ।

1. संस्था (मन्दिर) व्यवस्था व्यय :- **100.00 लाख**
इस मद में भगवान श्री साँवलियाजी व कस्बे के 5 मंदिरों की सेवा पूजा, बालभोग प्रसाद, देशी घी, केशर, अगरबत्ती, इत्र, नारियल, पोशाकें, वागा एवं श्रीसाँवलियाजी की श्रृंगार सामग्री, पूजा के रजत बर्तन, गर्भगृह को चिताकर्षक बनाने हेतु सोने व चांदी से गंगा जमुनी की कारीगरी की पिछवाई व सिंहासन बनवाना, भण्डार एवं दरवाजो पर चांदी चढाने का कार्य, भगवान का नया रजत रथ बनाने का कार्य, मुख्य मन्दिर तहखाने में स्ट्रांग रूम निर्माण, मुख्य मन्दिर में पीतल रेलिंग निर्माण,

मन्दिर सुरक्षा हेतु अत्याधुनिक हथियार, चैकिंग मशीने (H.H.M.D, D.F.M.D Etc.) व निगरानी हेतु डिजिटल सी.सी.टी.वी. कैमरे तथा बडी साईज की L.E.D. T.V. तथा मेले के अवसर पर मंदिर मण्डल क्षेत्र के अन्य 15 गाँवों की पूजा सामग्री इत्यादि एवं सौन्दर्यकरण, आरती व पूजा उपकरण, पण्डित दक्षिणा, ढोलक व हारमोनियम तथा मजीरा क्रय व मरम्मत, दर्शनार्थियों हेतु छाया के लिए टेंट व्यवस्था, भण्डार खुलते समय होने वाले व्यय हेतु रू0 100.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

2. परम्परानुसार महाप्रसाद ,साधुसन्तों एवं असहाय गरीबों **42.00लाख**

को भोजन :-

प्रतिमाह परम्परानुसार अमावस्या ,फुलडोल, शरद पूर्णिमा, शिवरात्रि, अन्नकूट एवं अन्य पर्वों पर होने वाले महाप्रसाद, दर्शनार्थ आने वाले साधु सन्तों एवं यात्रियों तथा गरीब असहाय दर्शनार्थियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, जलाऊ लकड़ी, सब्जी क्रय, परोसगारी, हलवाई, लाईट व्यवस्था हेतु रू0 42.00 लाख का व्यय अनुमान प्रस्तावित किया गया।

3. वेतन एवं भत्ते :- (अ)+(ब) **733.00 लाख**

(अ) नियमित एवं प्रतिनियुक्त स्टाफ : **433.00 लाख**
मंदिर मण्डल में कार्यरत नियमित एवं प्रतिनियुक्त स्टाफ कें वेतन भत्तों एवं पेंशन अंशदान हेतु रू0 433.00 लाख व्यय का प्रावधान रखा गया है। अनुसूची 'स' में विवरण संलग्न है।

क्र०सं०	स्टाफ का विवरण	कार्यरत	रिक्त पद	कुल स्वीकृत
1	प्रतिनियुक्त स्टाफ	01	03	04
2	नियमित वेतन श्रृंखला	89	102	191
	कुल स्टाफ का योग	90	105	195

(ब) संविदा कार्मिक : **300.00लाख**
मंदिर मण्डल में विभिन्न अनुभागों में यथा—मंदिर, कार्यालय, धर्मशाला, बालभोग, महाप्रसाद, भोजनशाला, जल—विधुत, कृषि, गौशाला, निर्माण तथा वार्षिक जल—झूलनी एकादशी मेला में एजेन्सी के मार्फत संविदा पर कार्यरत 359 कार्मिकों का पारिश्रमिक तथा मंदिर सुरक्षा व्यवस्था हेतु कॉपरेटिव सोसायटी के मार्फत 11 एक्स सर्विस मेन के पारिश्रमिक का भुगतान हेतु 300.00 लाख रुपये का प्रावधान

रखा गया है।

4. **यात्रा व्यय :-** **1.00 लाख**
बोर्ड के पदाधिकारियों एवं मंदिर मण्डल में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा भत्ता पुराने भुगतान सहित रू0 1.00 लाख का व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।
5. **चिकित्सा व्यय :-** **4.00लाख**
मंदिर मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मंदिर मण्डल कर्मचारियों को पूर्व वर्ष की भौति देय चिकित्सा व्यय पुनर्भरण को दृष्टिगत रखते हुए बकाया दावों एवं आगामी निस्तारण हेतु रू0 4.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। मंदिर मण्डल कर्मचारियों को चिकित्सा पुर्नभरण व्यय स्वीकृति अनुसार देय होगा ।
6. **वाहन,पी0ओ0एल0 एवं संधारण :-** **50.00लाख**
मंदिर मण्डल में वर्तमान में दो मोटर साईकिल वाहन पेट्रोल के है तथा एक सफारी, एक स्कार्पिओ, एक टावेरा, दो जीप, एक बोलेरो, पांच ट्रेक्टर, एक रोगी वाहन पुरानी (407)व एक रोगी वाहन नई डीजल आदि वाहन में मरम्मत, पी0ओ0एल0 ,टेक्स, बीमा आदि के खर्चे सम्मिलित है। जिनमे से पुराने वाहन यथा-स्कार्पियों RJ 09 UA 0117, टवेरा RJ 09 UA 657, महेन्द्रा जीप RJ 09 C 0939, मैसी ट्रेक्टर RJ 09 R 2586, मैसी ट्रेक्टर RJ 09 R 3321, फोर्ड ट्रेक्टर RSH 6189, मोटरसाईकिल राजदूत RJ 09 6141 तथा भेंट में आयी फिएट कार व मारुति अल्टो कार जो पुरानी होकर बार-बार मरम्मत का कार्य अत्यधिक होने से नीलाम किये जाने का प्रावधान रखा गया है वाहनों की नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को सम्मिलित करते हुए एक टवेरा एक बोलेरो व दो नये ट्रेक्टर तथा पूर्व में स्वीकृत एक फायर बिग्रेड छोटी क्रय की जानी है। जिस हेतु रूपये **50.00** लाख व वाहन नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि को सम्मिलित करते हुए नये वाहन क्रय करने का प्रावधान प्रस्तावित किया जाता है।
7. **मशीनरी साज सामान एवं संयंत्र कय तथा संधारण :-** **5.00लाख**
मंदिर मण्डल में वाटर कुलर, जनरेटर, पानी के टैंकर, पानी की टयुबवेल मोटरें, विधुत मोटरें ,कुओं हेतु उपलब्ध है जिनकी मरम्मत(संधारण) पी0ओ0एल0 तथा

नवीन साज सामान, यात्रियों की सुविधा हेतु नये वाटर कुलर व अन्य आवश्यक संयंत्र क्रय हेतु रू0 5.00 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

8. **कार्यालय व्यवस्था :-** **15.00लाख**
कार्यालय में टेलीफोन बिल ,पोस्टेज, मुकदमा व्यय, वकील की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टेशनरी एवं लेखन सामग्री ,ऑडिट फीस, कार्यालय फर्नीचर, कर्मचारियों की वर्दी, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि क्रय करने, अतिथि सत्कार, पुस्तकालय हेतु पत्र-पत्रिका, स्टेशनरी, कम्प्यूटर सामग्री, समाचार-पत्र, फोटो स्टेट कार्य, वेबसाईट नवीनीकरण व्यय,डिक्री व्यय,निविदा प्रकाशन, मोबाईल रिचार्ज व क्रय, उपरने, तस्वीर क्रय के साथ ही मंदिर मण्डल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु रू0 15.00 लाख का प्रावधान रखा गया है ।
9. **विज्ञापन प्रचार प्रसार व्यय:-** **7.00 लाख**
श्री सॉवलियाजी मंदिर के व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है जिसमें टी0वी0 नेटवर्क, वेबसाईट नवीनीकरण, अखबारों में विज्ञापन, विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग बोर्ड लगाने, वार्षिक पंचाग व इतिहास मुद्रण, कलेण्डर प्रकाशन एवं अन्य प्रचार प्रसार के माध्यमों से महाराष्ट्र, गुजरात, नाथद्वारा एवं अन्य जगहों पर सघन प्रचार प्रसार के लिए 7.00 लाख रू0 का बजट प्रावधान किया गया है ।
10. **विद्युत,जल एवं सफाई व्यवस्था :-** **90.00 लाख**
कार्यालय, धर्मशालाओं, मंदिर,स्टोर, स्टाफ आवासीय कॉलोनी रोड़ लाईट एवं मंदिर मण्डल की परिसम्पतियों की विद्युत व्यवस्था, विद्युत एवं सेनीटेशन सामग्री खरीद,रिक्त आवासीय भवनों, दुकानों, टयुबवैल की मोटरें, जनरेटर पर होने वाला मरम्मत व्यय, चक्की का विद्युत व्यय, ग्राम मण्डफिया की रोड़ लाईटें एवं ग्राम सफाई के लिए निर्धारित अनुदान ,पानी की प्याऊ, मवेशी प्याऊ ,हैण्डपम्पों, टयुबवैलों का संधारण, रिवाईडिंग कार्य, सफाई ट्राली, झाडु व मटका क्रय तथा इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सम्पादन हेतु 90.00 लाख का प्रावधान रखा गया है ।
11. **मेला एवं विभिन्न धार्मिक आयोजन व्यवस्था :-** **60.00लाख**
जलझूलनी एकादशी विशाल मेले में भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी, रथयात्रा का आयोजन ,जिसमें हाथी, घोड़े ,ऊँट, बैण्ड, कवि सम्मेलन ,विद्युत झॉकिया, विद्युत सजावट, टेन्ट शामियाना। प्रति अमावस्या एवं श्रावण मास में धार्मिक

एवं सांस्कृतिक भजन संध्या कार्यक्रम व इन पर लाईट व टेन्ट व्यवस्था तथा अखण्ड रामायण पाठ, शिवरात्रि अनुष्ठान, जन्माष्टमी महोत्सव, हरियाली अमावस्या, भागवत कथा प्रवचन, क्षेत्र के मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम एवं साधु सन्तों का सम्मेलन आदि कार्यक्रमों एवं विभिन्न पर्वों को सुव्यवस्थित सम्पादन हेतु रू0 60.00 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया है ।

12. **गौशाला व्यवस्था :-** **200.00 लाख**
मंदिर मण्डल की गौशाला की गायों के घास, हरी ज्वार, मक्की कड़ब, पशु आहार, दवाईयों, विधुत व्यय एवं गौशाला की व्यवस्थाओं के सम्पादन के व्यय को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार की गतिविधियों की व्यवस्था हेतु रू0 180.00 लाख का प्रावधान रखा गया है रूपये 200.00 लाख में से रूपये 20.00 लाख विभिन्न कृषि फार्मों से होने वाली नोशनल आय को कृषि उत्पादन के गौशाला में काम में लेने से सम्मिलित किया गया ।

13. **कृषि व्यवस्था :-** **5.00 लाख**
कृषि कार्यों की भूमि के लिए हकाई , जुताई, कुओं एवं ट्युबवेल मोटर का विधुत व्यय ,डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयों आदि। उक्त प्रावधान में अतिरिक्त जमीन को गौशाला की गायों हेतु हरी घास—यथा मैथी बरसीम, ज्वार व मक्का की उपज हेतु योग्य बनाना व खेती करना भी शामिल है तथा कृषि कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु इस मद में रू0 5.00 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

14. **चिकित्सा सहायता मद :-** **10.00 लाख**
राजस्थान सरकार की भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर व आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर एवं चितरंजन भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, उदयपुर अथवा राज्य में प्रसिद्धि प्राप्त किसी अन्य शल्य चिकित्सा ईकाई के सहयोग से मन्दिर मण्डल के तत्वावधान में शल्य/नैत्र चिकित्सा शिविर का वर्ष में कम से कम एक बार आयोजन किये जाने तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार कल्याण के माध्यम से मण्डफिया स्थित चिकित्सालय में लगने वाले शिविरों में सहयोग प्रदान करने तथा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग में आने वाले चिकित्सा उपकरणों के क्रय का प्रावधान रखा जाता है। साथ ही मन्दिर मण्डल द्वारा लगाये जाने वाले चिकित्सा शिविरों में

गरीबों को निःशुल्क दवाईयों का वितरण, अपंग व्यक्तियों के लिए उपकरण एवं ट्राईसाईकिल वितरण एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यों, उनके माध्यम से लगाये जाने वाले शिविरों में उपकरण की राशि, हृदय रोग, कैंसर रोग तथा अन्य बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता सहित रू0 10.00 लाख व्यय का प्रावधान किया गया है।

15. **धर्मशाला व्यवस्था :-** **20.00लाख**

मंदिर मण्डल की समस्त धर्मशालाओं/विश्रांतिगृहों व बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा हेतु बर्तन, चद्दर, बिस्तर, फर्नीचर, जाजम, पलंग, दरियों, टी0वी0, कुलर, गीजर, ए0सी0, पंखे क्रय, झाड़ू व सर्फ, केबल कनेक्शन व्यय, धर्मशालाओं को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु कम्प्यूटर क्रय करना, हीट स्प्रे, धर्मशालाओं/विश्रांतिगृहों के बिस्तरों, खोलियों, बेडशीट एवं पर्दों इत्यादि की धुलाई, प्रेस व अन्य मरम्मत एवं सुथारी कार्य एवं व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु 20.00 लाख रू0 का प्रावधान रखा गया है।

16. **शैक्षणिक व सहशैक्षणिक गतिविधियाँ :-** **9.00लाख**

(अ)शैक्षणिक :- **4.00लाख**
मण्डफिया ग्राम तथा मंदिर मण्डल क्षेत्र के अन्य शालाओं के अध्ययनरत छात्रों की फीस एवं मण्डफिया क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति तथा चित्तौडगढ जिले के समस्त प्रतिभावान छात्र जो उच्च शिक्षा जैसे- मेडिकल, इन्जिनियरिंग, एम.बी.ए. एवं सी.ए. में प्रवेश लेने पर प्रत्येक प्रतिभावान छात्र को मंदिर मण्डल की तरफ से 10,000/- रूपये का सहयोग दिया जाने को सम्मिलित करते हुए रू0 4.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

(ब) सहशैक्षणिक गतिविधियाँ :- **5.00 लाख**

विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर मिठाई वितरण, पुरस्कार, सम्मान प्रतीक समारोह का आयोजन खेलकूद सामग्री, पारितोषिक एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु रू0 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

17. **निर्माण,मरम्मत एवं विकास कार्य :-** **2241.00लाख**

मंदिर मण्डल के अन्तर्गत पिछले वर्षों में स्वीकृत निर्माण कार्य, नवीन निर्माण तथा विकास कार्यों यथा-प्रमुख चौराहों पर शुद्ध पीने के पानी एवं शौचालयों की व्यवस्था, टीन शेड निर्माण, पीने के पानी की बड़ी टंकी एवं पानी स्टोरेज टांके की व्यवस्था,

अत्याधुनिक भोजनशाला एवं बालभोग प्रसाद भवन निर्माण, कार्यालय प्रशासनिक भवन का निर्माण, ग्राम मण्डफिया एवं मन्दिर परिक्षेत्र के सौलह गांवों की सडकों का नवीनीकरण, शौचालयों का निर्माण एवं सडकों पर बरसात का पानी एकत्र न हो इस हेतु कवर्ड सिवरेज नालियों का निर्माण कराना, कबूतरखाने से सांवरिया सरोवर तक सडक निर्माण, मुख्य चौराहों का आधुनिकीकरण विकास एवं हाई-मास्क लाईटें लगाना, निम्बाहेडा रेल्वे स्टेशन के पास की जमीन पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं जनहितार्थ हेतु वाटिका निर्माण, वृन्दावन गार्डन एवं अस्पताल के पास वाली भूमि पर सीमा जानकारी कर बाउण्ड्री वॉल निर्माण, गौशाला का आधुनिकीकरण एवं बाडों का निर्माण, स्टॉफ कॉलोनी के पानी की निकासी हेतु सिवरेज नाले का निर्माण, मन्दिर भण्डारण (स्टोर) का विस्तार, भादसौडा चौराहा से मण्डफिया तक रोड के बीच अत्याधुनिक रोड-लाईट लगाना तथा सडक किनारे विश्राम स्थल व शौचालयों का निर्माण, मन्दिर परिक्षेत्र के सौलह गांवों में सामुदायिक भवन निर्माण, मुख्य द्वार के आगे दायी एवं बायी तरफ की जमीन पर पार्किंग स्टेण्ड निर्माण, कपासन फोरलेन मुख्य चौराहे पर सिंहद्वार निर्माण, न्यू शापिंग काम्पलैक्स के ऊपर हॉल निर्माण एवं काम्पलैक्स के बीच के चौक में फर्श व टीन शेड निर्माण, गौशाला में सी.सी. रोड, मन्दिर परिसम्पत्तियों पर चारदीवारी निर्माण, आसावाराजी से मण्डफिया तक सडक चौडाईकरण, यशोदा विहार धर्मशाला के बाहर फोरलेन सडक के किनारे कियोस्क निर्माण, गोवर्धन बस स्टेण्ड के सामने की लगती हुई दीवार के सहारे व सुदामा विश्रान्ति गृह चिकारडा में दुकानों का निर्माण, गौशाला में ट्री-गार्ड लगवाये जाने का कार्य, मन्दिर मुख्य द्वार के आगे चारदीवारी निर्माण, बालभोग प्रसाद एवं भोजन तैयार करने हेतु आधुनिक बालभोग कक्ष एवं भोजनशाला(रसोई, हॉल व कमरे) निर्माण, आदि को प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष में कराये जाने का प्रस्ताव लिया गया है साथ ही पूर्व में लिए गए प्रस्ताव अनुसार श्री साँवलियाजी मंदिर विस्तार बाबत् किए जाने वाली भूमि अवाप्ति हेतु प्रावधान को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 2241.00 लाख का प्रावधान किया गया है। (अनुसूची 'द' संलग्न है)

श्री साँवलियाजी मंदिर मण्डल परिक्षेत्र के सोलह गाँवों में विभिन्न गतिविधियों जैसे धार्मिक,शैक्षणिक, सहशैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, हार्ट वाल्व, सर्जरी हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान आपातकालीन घटनाओं पर अनुदान, मंदिर क्षेत्र के मंदिरों को अनुदान, सर्दी में कम्बल वितरण, दर्शनार्थियों की जेब कट जाने पर किराया भाड़ा ,विभिन्न जनोपयोगी एवं मानव सेवापयोगी गतिविधियाँ हेतु अनुदान एवं निर्माण, विकास कार्यो आदि पर अनुदान के लिए रू0 20.00 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

19. **आयकर एवं अन्य शुल्क :-** **20.00 लाख**
फिक्स डिपोजिट जमाओं पर बैंक द्वारा सीधे ही आयकर काटने तथा बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर ब्याज हेतु रू0 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।
20. **भोजनशाला व्यवस्था :-** **150.00 लाख**
दर्शनार्थियों को लाभ हानि रहित दरो पर शुद्ध एवं पवित्र भोजन कराने हेतु मंदिर मण्डल द्वारा भोजनशाला संचालित हैं। भोजनशाला हेतु रू0 150.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।
21. **प्रसाद व्यवस्था :-** **600.00 लाख**
दर्शनार्थियों को उचित दरो पर श्री साँवलियाजी सेठ का प्रसाद उपलब्ध कराने हेतु सामग्री यथा—खाद्य सामग्री, प्लास्टिक बेग, गैस रिफिल, फल, गैस व घी परिवहन व्यय को सम्मिलित करते हुए इस मद में राशि रू0 600.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

उक्त बजट प्रावधान पर मदवार विचार विमर्श कर आवश्यक संशोधन करते हुये सर्वसम्मति से बजट पारित किया जाता है। स्टॉक एवं स्टोर्स सामग्री क्रय करने हेतु विगत बचत से 100.00 लाख का प्रावधान रखा जाता है ताकि समय पर सामग्री क्रय के साथ ही संबंधित मद में उपभोग उपरान्त राशि दर्ज कर समायोजन हो सके। बजट प्रस्ताव की स्वीकृति एवं अनुमोदन बाबत् राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।